न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	परमेश्वरनाथ व अन्य बनाम सदा सुखी अपील संख्या–जीसीएमएस 2025/167 अपील अ.धा. 16(1) माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधि. 2007	
01.07.25	पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत अपील अ.धा. 16(1) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर–उत्तर) के द्वारा प्रकरण संख्या 40/2024 सदा सुखी बनाम परमेश्वरनाथ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.04.2025 के विरूद्ध पेश हुई है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) में Any Senior Citizen or a parent, as the case may be, Aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the appellate Tribunal; स्पष्ट किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक की श्रेणी में नही है तथा अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी/अप्रार्थी के पुत्र है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत अपील ग्राह्य योग्य नही होने से निरस्त की जाती है। (गौरव अग्रवाल) अपील अधिकरण जिला कलक्टर (मजिस्ट्रेट), जोधपुर अपील अधिकरण जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)	

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)